



2286710, 2286709

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,

लखनऊ-226001

website-www.sudaup.org

पत्रांक:-2339/01/29/HFA-10/2017-18

दिनांक:-15 सितम्बर, 2017

### आवश्यक/महत्वपूर्ण

समस्त परियोजना अधिकारी  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डीपीआर के लाभार्थियों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सूडा के पत्रांक-1776/01/29/एचएफए-10/2017-18 दिनांक 10 अगस्त, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डीपीआर के अनुसार ग्राउण्डिंग से पूर्व डूडा द्वारा लाभार्थी को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अभी तक कुल 69 जनपदों की 348 नगर निकायों में 1,08,830 आवासों की डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है, जिनकी सूची सूडा की वेबसाइट [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org) पर उपलब्ध है। उक्त आवासों की ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व लाभार्थी को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र जारी किया जाना है। तत्पश्चात् लाभार्थी को रु0 100/- से नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भी लिया जाना है, जिनका प्रारूप भी सूडा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ करने हेतु चयनित कन्सलटेन्ट के सहयोग से लाभार्थी को स्वीकृति पत्र जारी करने का कष्ट करें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक

### प्रतिलिपि:-

1. श्री योगेश आदित्य, सहाय परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा, लखनऊ।
2. समस्त डीपीआर प्रिपेरेशन एवं पीएमसी कन्सलटेन्ट्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक



2286710, 2286709

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,

लखनऊ-226001

website-www.sudaup.org

दिनांक:- 10 अगस्त, 2017

पत्रांक:- 1776 / 01 / 29 / HFA-10 / 2017-18

आवश्यक / महत्वपूर्ण

समस्त परियोजना अधिकारी  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डीपीआर के लाभार्थियों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत हों कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी डीपीआर मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित एस०एल०एस०एम०सी० बैठक के अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अब तक कुल 235 नगर निकायों में 67657 आवासों की डीपीआर स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत डीपीआर की निकायवार सूची पत्र के साथ संलग्न है। स्वीकृत डीपीआर के आवासों की ग्राउण्डिंग का कार्य कराया जाना है। डीपीआर प्रिपिरेशन एवं पी०एम०सी० हेतु 15 क्लस्टर के लिए कन्सलटेन्ट का चयन किया गया है, जिनका विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ग्राउण्डिंग से पूर्व डूडा द्वारा लाभार्थी को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र जारी क्रिया जाना है (प्रारूप संलग्न)। तत्पश्चात् लाभार्थी से रु० 100/- के नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भी लिया जाना है (प्रारूप संलग्न)।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है तत्काल ग्राउण्डिंग की कार्यवाही चयनित कन्सलटेन्ट से सहयोग से कराते हुये सूडा मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ०प्र०।
2. समस्त परियोजना निदेशक, डूडा, उ०प्र०।
3. समस्त डीपीआर प्रिपिरेशन एवं पी०एम०सी० कन्सलटेन्ट्स।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक

## List of DPR Preparation and PMC Consultant

Cluster	DPR & PMC Consultant	Contact Person	Contact No.
1	2	3	4
Faizabad	M/s Snow Fountain Consultant	Mr. Kuldeep	9450190463
Agra	M/s Saryu Babu Engineers India Pvt. Ltd.	Mr. Purnanand	9546282324
Mirzapur	M/s Saryu Babu Engineers Resource Development Pvt. Ltd.	Mr. Prabhat	7004766906
Allahabad	M/s Snow Fountain Consultant	Mr. Kuldeep	9450190463
Aligarh	M/s Saryu Babu Engineers Resource Development Pvt. Ltd.	Mr. Prabhat	7004766906
Kanpur	M/s Snow Fountain Consultant	Mr. Kuldeep	9450190463
Saharanpur	M/s Space Combine	Mr. Sharad	9717894128
Chitrakoot	M/s Rudrabhishek Enterprises Pvt. Ltd.	Mr. Prabhakar	9990669311
Varanasi	M/s Saryu Babu Engineers India Pvt. Ltd.	Mr. Purnanand	9546282324
Jhansi	M/s WAPCOS Ltd.	Mr. Vineet	9454544865
Moradabad	M/s Rudrabhishek Enterprises Pvt. Ltd.	Mr. Prabhakar	9990669311
Meerut	M/s Rudrabhishek Enterprises Pvt. Ltd.	Mr. Prabhakar	9990669311
Lucknow	M/s Snow Fountain Consultant	Mr. Kuldeep	9450190463
Basti	M/s Creative Consortium	Mr. Amit	9899180521
Bareilly	M/s Saryu Babu Engineers Resource Development Pvt. Ltd.	Mr. Prabhat	7004766906
Azamgarh	Not Alloted		
Gorakhpur	M/s Saryu Babu Engineers India Pvt. Ltd.	Mr. Purnanand	9546282324
Devipatan	M/s Creative Consortium	Mr. Amit	9899180521

## शपथ पत्र

समक्ष:-परियोजना अधिकारी, डूडा .....

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी

म0नं0 ..... गली नं0 ..... मोहल्ला ..... वार्ड नं0 ..... जिला .....

निम्नानुसार वचन देता/देती हूँ कि:-

1. मेरे या मेरे परिवार द्वारा पूर्व में केन्द्र/राज्य प्रायोजित किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया गया है।
2. मेरे द्वारा आवेदन के साथ भू-स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र/शपथ पत्र एवं अन्य प्रपत्र कन्सलटेन्ट के माध्यम से डूडा में उपलब्ध करा दिये गये हैं।
3. मेरे या मेरे परिवार के नाम पूरे भारत में पक्का मकान नहीं है। मेरी जानकारी में है कि परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी एवं अविवाहित बच्चे सम्मिलित है।
4. मेरी एवं मेरे परिवार की वार्षिक आय रु0 ..... है।
5. मेरा आधार कार्ड संख्या ..... है।
6. मेरा बचत खाता संख्या ..... बैंक का नाम ..... जिसकी शाखा ..... जनपद ..... है।
7. मैंने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास बनाने के लिए आवेदन किया था। मैंने स्वेच्छा से लाभार्थी चयनित होने एवं सत्यापित होने के पश्चात् योजना अभिलेख में हस्ताक्षर किया एवं स्वेच्छा से आवास का निर्माण कर रहा/रही हूँ।
8. मैं स्थानीय नियमों के अनुसार आवास का निर्माण करूँगा/करूँगी। यदि आवास निर्माण हेतु नक्शा/मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग से नक्शा/मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा।
9. मैं विवादित/दूसरे की भूमि/न्यायालय द्वारा रोक लगायी हुई भूमि पर निर्माण नहीं करूँगा/करूँगी।
10. मेरे संज्ञान में है कि मुझे प्रथम किश्त रु0 1,00,000 की धनराशि प्लिन्थ लेवल के पश्चात्, द्वितीय किश्त रु0 1,00,000 की धनराशि स्लैब कास्ट के पश्चात् तथा अन्तिम किश्त रु0 50,000 की धनराशि आवास पूर्ण होने के पश्चात् दी जायेगी। आवास निर्माण हेतु सरकारी सहायता राशि के बाद निर्माण कार्य में होने वाले अतिरिक्त खर्च का वहन स्वयं करूँगा/करूँगी।
11. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्राप्त राशि से आवासीय इकाई का निर्माण नहीं कराये जाने की स्थिति में निकाय से प्राप्त राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज सहित एक मुश्त लौटा दूँगा/दूँगी।
12. मैं अनुबन्ध में वर्णित उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यह संज्ञान में है कि शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
13. उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सही है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

साक्षी:-

.....  
लाभार्थी का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

1. ....

2. ....

सेवा में,

श्री/श्रीमती .....

पुत्र/पत्नि .....

निवासी .....

**विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु स्वीकृति।**

महोदय,

आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी.एल.सी.) घटक के अन्तर्गत आवेदन किया गया था। प्रमाणीकरण पश्चात् पात्र पाये जाने पर भारत सरकार द्वारा दिनांक ..... को सी0एस0एम0सी0 की - बैठक में डीपीआर स्वीकृत की गयी है, जिसमें आपका नाम सम्मिलित है। आपको भवन निर्माण हेतु 2.50 लाख की आर्थिक सहायता निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है:-

1. आवास निर्माण में रु0 2.50 लाख से अधिक व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।
2. आपको अपनी स्वयं की भूमि पर नवीन आवास निर्माण करना है। आप द्वारा आवास निर्माण भूतल या प्रथम तल अथवा दोनों तल को मिलाकर किया जा सकता है। पूरे आवास का क्षेत्रफल न्यूनतम 21 वर्ग मी0 से 30 वर्ग मी0 के कारपेट एरिया पर होना अनिवार्य है।
3. आवेदक को भवन के अंदर एनबीसी मानकों के अनुरूप निम्नानुसार न्यूनतम आकार के कक्ष निर्मित करना अनिवार्य होगा :-

क्र0 सं0	कक्ष का नाम	न्यूनतम कारपेट एरिया (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम चौड़ाई	न्यूनतम ऊँचाई
01	बैठक कक्ष	9.00	2.50	2.60
02	शयन कक्ष	6.50	2.10	2.60
03	(अ)रसोई (यदि कमरे के साथ संलग्न हो)	2.40	1.20	2.60
04	(ब)रसोई (यदि पृथक से निर्मित हो)	3.30	1.50	2.60
05	पृथक शौचालय	0.90	0.90	2.10
06	पृथक स्नानगृह	1.20	1.00	2.10
	संयुक्त शौचालय एव स्नानगृह	1.80	1.00	2.10

4. आपको अनिवार्य रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु ..... कन्सलटेन्ट का चयन किया गया है, जिनके द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे:-
  - (अ) मानचित्र, डिटेल वर्किंग ड्राईंग एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराया जायेगा।
  - (ब) आवास निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों जैसे-प्लिंथ लेवल, छत लेवल, फाइनल फिनिशिंग कार्य के आधार पर समय से वित्तीय सहायता कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा, जिससे कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जा सके।
  - (स) कन्सलटेन्ट द्वारा निर्माण के विभिन्न चरणों के फोटोग्राफ्स संकलित कर भारत सरकार की गाइड लाईन्स के अनुसार विभिन्न चरणों में जियो टैगिंग की जायेगी।

5. स्थल पर मानचित्र एवं प्राक्कलन के अनुरूप निर्माण कार्य कराना अनिवार्य होगा।
6. भवन निर्माण करने हेतु डूडा द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति के अनुरूप निम्नानुसार किशतों में धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी :-

क्र० सं०	किशत का विवरण	कार्य का विवरण	राशि
01	प्रथम किशत	प्लिन्थ लेवल पूर्ण करने के पश्चात्	1,00,000.00
02	द्वितीय किशत	छत निर्माण पूर्ण होने पर	1,00,000.00
03	तृतीय किशत	आवास पूर्ण होने पर	50,000.00
<b>कुल राशि</b>			<b>2,50,000.00</b>

7. उपरोक्त राशि प्रत्येक चरण पर कार्य पूर्णता का प्रमाण (फोटोग्राफ्स) उपलब्ध कराने पर उपलब्ध कराई जायेगी।
8. भवन निर्माण के समय विद्युत सुरक्षा नियमों का नियमानुसार पालन करना अनिवार्य होगा।
9. आवास निर्माण कार्य आपके आवंटन दिनांक से 12 माह तक की अवधि में पूर्ण करना आवश्यक होगा। इससे अधिक अवधि लगने पर आपको दी जाने वाली अवशेष धनराशि को रोकते हुए पूर्व में निर्गत धनराशि की वसूली की जा सकती है। दी गयी धनराशि का दुरुपयोग पाये जाने की दशा में आपके विरुद्ध राशि वसूली के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल डूडा कार्यालय में इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने आवास निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर डूडा कार्यालय को अवगत कराये, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- यथोपरि।

परियोजना अधिकारी  
डूडा .....

प्रतिलिपि:-

1. अधिशासी अधिकारी, न०पा०परि०/न०पं० ....., जनपद .....
2. सम्बन्धित कन्सलटेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परियोजना अधिकारी  
डूडा .....